भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 368
जिसका उत्तर बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा

368. श्रीमती विप्लव ठाकुर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बहुत-से भारी और हल्के वाहन विनिर्माताओं द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वाहन निर्माता-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जी, हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(एमओआरटीएच) ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआरएस) में संशोधन हेतु अधिसूचना सा.का.1139(ई) दिनांक 28.04.2015 जारी की है जिसमें टक्कर मानक, ऑटोमोटिव उद्योग मानक 098 और ऑटोमोटिव उद्योग मानक 099 के अनुसार नए वाहनों के लिए इनका अनुपालन 1 अक्तूबर, 2017 से अनिवार्य होगा तथा मौजूदा वाहनों के संबंध में ये मानक 1 अक्तूबर, 2018 से लागू होंगे।

(ग) और (घ): जी, नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि कई भारी और हल्के वाहन विनिर्माताओं द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन न किए जाने के मामलों के संबंध में ऐसी कोई सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अनुसार, ई-रिक्शा हेतु पंजीकृत एसोसिएशन(संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा अभिज्ञात) सहित मोटर वाहनों का प्रत्येक विनिर्माता या आयातक, जहां भी लागू हो, उसके द्वारा विनिर्मित या आयातित मोटर वाहन का प्रोटोटाइप ऐसी परीक्षण एजेन्सियों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उस एजेन्सी द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

बशर्ते कि इस नियमों के अनुपालन हेतु मोटर वाहन के टाइप अनुमोदन तथा प्रमाणन की प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:017-2000 के अनुरूप होगी।

*****